

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 7(2)कार्मिक / क-2 / 2019

जयपुर, दिनांक : 29.3.2019

- समस्त अतिः मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
- समरत विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

### परिपत्र

इस विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक / क-2 / 75 दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध-II एवं उपाबन्ध-III के अन्तर्गत सीधी भर्ती में अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए कमशः 16%, 12% एवं 21% और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कमशः 16% एवं 12% आरक्षण के प्रावधान अनुसार रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के साथ संलग्न उपाबन्ध-II में सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं, जिसे इस विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 07.08.07 के द्वारा संशोधित किया गया है।

तत्पश्चात राजस्थान अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2008 दिनांक 31.07.09 को पारित हुआ जिसे दिनांक 25.8.09 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देय था। इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2009 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण (रोस्टर), नियम 2009 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु नये रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये लेकिन डी.बी.सि.टि.रि.ट याचिका संख्या 12810/09 जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार में मान. न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम 2008 को स्थगित करते हुए मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.09 एवं 04.11.09 के द्वारा आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जाने के निर्णय के कारण विशेष 11.09 के द्वारा आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जाने के निर्णय के कारण विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किये गये जबकि इसके तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया गया 14 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं हो सका। इस प्रकार इसके अन्तर्गत सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार

COUNTER SIGNED

REGISTRAR  
Jai Narain Vyas University  
JODHPUR (Raj.)

ASSISTANT REGISTRAR  
ACADEMIC BRANCH  
JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY  
JODHPUR

अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के द्वारा विविध सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में राज्य के अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए कमशः 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण लग्बवत (vertical) हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य आरक्षण के आरक्षण उसी राजस्थान विविध सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रवर्गों के आरक्षण उसी राजस्थान विविध सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5%, अधीनरथ एवं मन्त्रालयिक सेवाओं में 12% एवं अनुर्ध्व श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण, सभी सेवाओं में महिला अधिकारियों के लिए 30% आरक्षण जिसमें चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण, सभी सेवाओं में महिला अधिकारियों के लिए 30% आरक्षण जिसमें 8% विधवा एवं 2% परिवत्ता के लिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनरथ और मन्त्रालयिक सेवाओं में 2% आरक्षण, कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24.02.88 के अनुसार राज्य सेवा के पदों पर सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 7% आरक्षण, जो राजस्थान राज्य एवं अधीनरथ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत देय हैं, का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) हैं।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 जारी कर राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती में विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विशेष योग्यजन के लिए रोस्टर रो संबंधित निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही जारी किये जाने हैं।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.11.97, 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध-II/उपाबन्ध-II का परिशिष्ट यथारिति एवं अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची-II एवं अनुसूची-III में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर के अतिकमण में लाम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के रूप में संशोधित रोस्टर निर्धारित कर संलग्न उपाबन्ध-II के अनुसार जारी किया जाता है।

जहां तक पदोन्नति का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची-III एवं अनुसूची-IV में विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभी नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष अपने विभाग में उपर्युक्तानुसार उपाबन्ध-II एवं उपाबन्ध-II के अनुसार, रोस्टर पंजिका संधारित करते हुए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

**संलग्न : उपाबन्ध-II एवं उपाबन्ध-II-II  
(पृष्ठ 3 से 8 तक)**

  
(जय सिंह)  
उप शासन सचिव

16/2/2019

**COUNTER SIGNED**

  
**REGISTRAR**  
**Jai Narain Vyas University**  
**JODHPUR (Raj.)**

  
**Assistant Registrar**  
**Academic Section**  
**J.N. Vyas University,**  
**JODHPUR**